न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 11/2013 जिला अलवर ।

1. रतनलाल पुत्र मोतीलाल, जाति ब्राह्मण – मृतक
1/1. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम टहला, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
2. रामजीलाल पुत्र मोतीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम टहला, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
2/1. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम टहला, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
2/2. दीनदयाल पुत्र श्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम टहला,तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
2/3. श्रीमती बिमला देवी धर्मपत्नि भगवान सहाय पुत्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पाटन, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
2/4. श्रीमती कमलादेवी धर्मपत्नि श्यामलाल पुत्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी डी–ब्लॉक, मानसरोवर कॉलोनी, काला कुंआ, अलवर ।
2/5. श्रीमती इन्दिरा देवी धर्मपत्नि भगवान सहाय पुत्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी डी–20, मालवीय नगर, अलवर ।
2/6. श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नि रामवतार पुत्री रामजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी, 2 झालानी प्लाट 5 के पास, गोयल अस्पताल की गली, बढियाल रोड, बॉंदीकुई, तहसील व जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सूरज प्रसाद पुत्र श्री मोतीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम टहला, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजगढ, जिला अलवर ।

विगा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.01.2006, जिला कलेक्टर, अलवर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रामावतार शर्मा

निर्णय

दिनांक– 30.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 31.1.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्राम टहला, तहसील राजगढ, जिला अलवर में आराजी खसरा नं. 252 रकबा 76.68 हैक्टेयर स्थित है । अपीलान्ट रतन लाल व रामजी लाल पुत्रान मोतीलाल ब्राह्मण द्वारा एक दावा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ , जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि वादीगण के काफी समय से कब्जे काश्त में है और उसके खातेदार काश्तकार है । महकमा बन्दोबस्त ने बन्दोबस्त के समय उक्त आराजी को मौके के खिलाफ मिसल हकीयत एवं बन्दोबस्त कागजात में वादीगण का नाम न लिखकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जो गलत एवं मौके के खिलाफ है । उक्त इन्द्राजात को कायम रखने में वादीगण के अधिकारों की हानि होती है और वादीगण को उक्त इन्द्राज होने से नुकसान होता है तथा दावा वादीगण डिक्री किया जाकर मिसल हकीयत तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे । इस पर उप खण्ड अधिकारी राजगढ ने निर्णय दिनांक 21.5.1973 पारित कर वादी का वाद डिक्री करते हुए वादी का गैर खातेदार मानते हुये सम्वत् 2020 के रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया । उप खण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा दावे में पारित उक्त निर्णय दिनांक 21.5.1973 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट सूरज प्रसाद पुत्र मोती लाल द्वारा अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की , जो निर्णय दिनांक 22.12.2003 द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलार्थी सूरज प्रसाद पुत्र मोती लाल को विवादित भूमि में 1/3 भाग तथा प्रत्यर्थी रतन लाल व रामजी लाल को 2/3 भाग का गैर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये हैं । राजस्व अपील अधिकारी अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2003 के विरूद्ध अपीलान्ट रतन लाल वगै. ने अपील दायर की जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 17.2.2004 को स्थगन आदेश पारित कर स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर स्थगन बाबत राजस्व अपील अधिकारी अलवर को लिखा जावे कि उनके निर्णय दिनांक 22.12.2003 की क्रियान्विती मण्डल के अन्य आदेश होने तक स्थगित रखी गई है । राजस्व मण्डल द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेश के बावजूद इन्तकाल संख्या 372 उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.5.1973 व राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 की अनुपालना में दिनांक 15.3.2004 को तहसीलदार राजगढ द्वारा रेस्पोंडेन्ट रतन लाल , रामजी लाल पुत्रान मोती लाल की बजाय अपीलान्ट रतन लाल पुत्र मोतीलाल, रामजीलाल पुत्र मोतीलाल, तथा रेस्पोंडेन्ट सूरज प्रसाद पुत्र मोतीलाल, जाति ब्राह्मण के नाम गैर खातेदरी का तस्दीक किया कर दिया । राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 एवं उप खण्डअधिकारी राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.5.1973 के खिलाफ रतन लाल बनाम सूरज प्रसाद व बद्री प्रसाद बनाम सूरज प्रसाद की अपीलों में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 5.3.2009 पारित कर दोनों अपीलेंस्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 एवं उप खण्ड अधिकारी राजगढ , जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.5.1973 अपास्त किये जाकर मूल वाद संख्या 1/1988 को इस

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्देश के साथ विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह उक्त वाद में सुरज प्रसाद, बद्री प्रसाद तथा राजेन्द्र प्रसाद को (प्रतिवादी) बना कर उन्हें जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगें तत्पश्चात् तनकीयात में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो संशोधन करें एवं दोनों पक्षों को विवादित बिन्दूओं के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये वाद में नये सिरे से विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करेगें । इसके साथ ही सभी पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक के लिये वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से रहन, बैय एवं मुन्तकिल नहीं करने हेतु जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया गया है ।

तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर द्वारा तस्दीक उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट रतनलाल द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.1.2006 से अपीलान्ट द्वारा यह कहने पर कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.3.2004 की जानकारी दिनांक 12.8.2004 को होना सर्वथा असत्य प्रतीत होना माना , क्योंकि तहसीलदार के आदेश के पूर्व ही उसने राजस्व मण्डल में अपील दायर करने तथाउसके मुताबिक स्थगन आदेश भी दिनांक 17.2.2004 को प्राप्त कर लिया था । तहसीलदार को स्थगन आदेश की पूर्व से ही जानकारी होना , प्रकट नहीं होना माना है तथा अपीलांट के यह कहने पर कि उसे आदेश की जानकारी 12.8.2004 को हुई है, अपील अन्दर मियाद साबित करने को कही जाना मानते हुये अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार राजगढ का आदेश दिनांक 15.3.2004 यथावत रखा गया ।

टिप्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

जिला कलक्टर, अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट रतन लाल व रामली लाल पुत्रान मोती लाल द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के अपीलान्ट्स गैर खातेदार काबिज काश्त हैं । अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है । अपीलांट्स का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा निर्णय दिनांक 21.5.73 से डिक्री किया गया जिसके खिलाफ रेस्पोडेंट सं. 1 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर में अपील की जो निर्णय दिनांक 22.12.2003 से स्वीकार हुई और अपीलान्ट्स व रेस्पडेन्ट को 1/3, 1/3 भाग का

गैर खातेदार घोषित किया गया । राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अपील राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई जिसमें दिनांक 17.2.2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया कि राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 22.12.2003 की क्रियान्विति राजस्व मण्डल अजमेर के आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावे । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद भी तहसीलदार राजगढ ने प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 372 दिनांक 15.3.2004 स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि में बाधा डाली तब अपीलान्ट ने दिनांक 12.8.2004 को तहसील राजगढ में पूछताछ की तथा इन्तकाल स्वीकार किये जाने की जानकारी प्राप्त की और इन्तकाल की नकल प्राप्त कर कानूनी राय लेकर दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुए केवल मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि मियाद के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में अपने अनेकों निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि मियाद के संबंध में न्यायालयों को लचीला रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावें । अपनें कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2011 पेज 657, आर.आर.डी. 1995 पेज 120, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर.आर. डी. 1998 पेज 319, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 455, आर.आर.टी. 2001 (2), पेज 1236 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्र संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सूरज प्रसाद व अपीलान्ट रतनलाल, रामजी लाल पुत्रान मोती लाल तीनो भाई हैं । विवादित भूमि प्रारंभ से ही उनके दादा नानकराम के कब्जे काश्त की थी । उसके बाद मोतीलाल के नाम हुई । रेस्पोडेन्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलांट्स ने उप खण्ड अधिकारी राजगढ से पक्ष में दावा डिक्री करा लिया जिसमें रामजीलाल व रतन लाल को सम्पूर्ण भूमि का गैर खातेदार माना है । जबकि रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार मानना चाहिये था। उप खण्ड अधिकारी के दावे में पारित उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील राजस्व अपील अधिकारी ने निर्णय दिनांक 22.12.2003 द्वारा स्वीकार की जाकर विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट सूरज प्रसाद का 1/3 भाग होना तथा अपीलान्ट्स रतनलाल व रामजीलाल को 2/3 भाग का गैर खातेदार अंकित करने के आदेश

पारित किये हैं । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 372 दिनांक 15.3.2004 के खिलाफ अपील दिनांक 19.10.2004 को 6 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । जिला कलक्टर अलवर ने अपीलान्ट की अपील पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.1.2006 पारित किया कि "अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.3.2004 की जानकारी दिनांक 12.8.2004 को हुई सर्वथा असत्य प्रतीत होती है । क्योंकि तहसीलदार के आदेश से पूर्व ही उसने राजस्व मण्डल में अपील दायर कर रखी थी तथा उसके मुताबिक स्थगन आदेश भी दिनांक 17.2.2004 को प्राप्त कर लिया था । तहसीलदार को स्थगन आदेश की पूर्व से जानकारी थी यह प्रकट नहीं होता है । अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि उसे आदेश की जानकारी 12.8.2004 को हुई , अपील अन्दर मियाद साबित करने को कही गई है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है व तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 15.3.2004 यथावत रखा जाता है ।" ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय /डिक्री के खिलाफ रेस्पोडेन्ट सूरज प्रसाद की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने निर्णय दिनांक 22.12.2003 से स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट सूरज प्रसाद का विवादित भूमि में 1/3 भाग तथा अपीलान्ट रतनलाल व रामजीलाल को 2/3 भाग का गैर खातेदार अंकित करने के आदेश पारित किये हैं । राजस्व मण्डल अजमेर ने आदेश दिनांक 17.2.2004 से राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 की कियान्विती मण्डल के अन्य आदेश होने तक स्थगित रखी गई थी, लेकिन राजस्व मण्डल द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेश के बावजूद इन्तकाल संख्या 372 उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.5.1973 व राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 की अनुपालना में दिनांक 15.3.2004 को तहसीलदार राजगढ द्वारा रेस्पोंडेन्ट रतन लाल , रामजी लाल पुत्रान मोती लाल की बजाय अपीलान्ट रतन लाल पुत्र मोतीलाल, रामजीलाल पुत्र मोतीलाल, तथा रेस्पोंडेन्ट सूरज प्रसाद पुत्र मोतीलाल, जाति ब्राह्मण के नाम गैर खातेदरी का तस्दीक किया है । अपीलान्ट रतनलाल द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.1.2006 पारित किया गया कि "अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.3.2004 की जानकारी दिनांक 12.8.2004 को हुई सर्वथा असत्य प्रतीत होती है । क्योंकि तहसीलदार के आदेश से पूर्व ही उसने राजस्व मण्डल में अपील दायर कर रखी थी तथा उसके मुताबिक स्थगन आदेश भी दिनांक 17.2.2004 को प्राप्त कर लिया था । तहसीलदार को स्थगन आदेश की पूर्व से जानकारी थी यह प्रकट नहीं होता है । अपीलान्ट द्वारा

यह कहना कि उसे आदेश की जानकारी 12.8.2004 को हुई , अपील अन्दर मियाद साबित करने को कही गई है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है व तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 15.3.2004 यथावत रखा जाता है ।" हम समझते हैं कि प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 एवं उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.5.1973 के खिलाफ रतन लाल बनाम सूरज प्रसाद व बद्री प्रसाद बनाम सूरज प्रसाद की अपीलों में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 5.3.2009 पारित कर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 एवं उप खण्ड अधिकारी राजगढ , जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.5.2973 अपास्त किये जाकर मूल वाद को इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किया गया कि वह उक्त वाद में सुरज प्रसाद, बद्री प्रसाद तथा राजेन्द्र प्रसाद को (प्रतिवादी) बना कर उन्हें जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगें तत्पश्चात् तनकीयात में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो संशोधन करें एवं दोनों पक्षों को विवादित बिन्दूओं के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये वाद में नये सिरे से विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करेगें । इसके साथ ही सभी पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक के लिये वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से रहन, बैय एवं मुन्तकिल नहीं करने हेतु जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया गया है । चूंकि वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 5.3.2009 द्वारा वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है तथा सभी पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक के लिये वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से रहन, बैय एवं मुन्तकिल नहीं करने हेतु जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया गया है । हम समझते हैं कि पक्षकारान के हक हकूकों का निर्धारण वाद में ही होना है । ऐसी स्थिति मे राजस्व मण्डल अजमेर के उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत इस नामांतरकरण की अपील में अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
([illegible] गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर